

श्रीमती अंकिता कपूर पत्नि स्व. श्री संदीप कपूर, को सहायक ग्रेड-तीन के पद पर वेतन बैंड-1 में वेतनमान रूपये 5200—20200 + ग्रेड पे रु. 1900) में नियमानुसार समय—समय पर देय भत्तों सहित 2 वर्ष की परीक्षा पर डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन उर्त्तीण करने की शर्त को शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा समक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से उर्त्तीण करना होगी, अन्यथा असफल रहने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी, उन्हें अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर नियुक्त किया जाता है :-

1. यह कि, वे शपथ ले कि तिथि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सत्त्वी निष्ठा रखेंगी।
2. यह कि वे 15 दिवस के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अन्य किसी तिथि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चर्चन हेतु तर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से तर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियों दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा भेरे विलम्ब असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा। यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अग्रणी पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतिरोपी पूर्त में प्रस्तुत की गई थी की मूलप्रतिरोपों को लेकर उपस्थित होंगी। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि वे अनितार्ग गोग्यताएं घारण नहीं करती हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।
4. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, तल्लभ भवन, भोपाल के परिपन्न क्रमांक एफ-७/३/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13-04-2005 के अनुसार प्रारम्भित अंशदान पैशान प्रणाली लागू होगी।
5. यह कि, उन्हें स्वयं के द्वारा स्वस्थता परीक्षण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्तम्भेत निरस्त माना जावेगा।
6. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगी और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगी। उन्हें स्वाध्यारी छात्रा के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने गा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. यह कि आतेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तश्यों को छिपागे जाने, कूटरचित या कर्जी पाये जाने गा अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वभेद निरस्त मानी जावेगी।

8. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय से लिखित रूप से अधिकारी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगी तो उन्हें एक नया पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अमावस्या में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर नियुक्ति नगद जमा करनी होगी।

9. यह कि उन्हें किसी अन्य निभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

10. यह कि उन्हें नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।

11. यह कि उन्हें लिखित रूप से अभिस्तीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे ते भी उसे मान्य होंगे एवं सभी शर्तों के संबंध में लिखित स्तीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्राप्ति हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।

12. यह कि वे पाँच तर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

13. यह कि उन्हें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रिसिपल रजिस्ट्रार दे सकेंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

स्त्री ।—

(मो. फहीम अनवर,
रजिस्ट्रार जनरल
for

पृष्ठांकन क्रमांक C/4155,
प्रतिलिपि —

जबलपुर, दिनांक 10 / 10 / 2017

1. प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर, म.प्र.,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर
3. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1, 2/डी.ई./ई./आई.एल./एक्जाम एड लेबर ज्यूडिशियरी/कम-पी.पी.एस./सतर्कता, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति अपलोड हेतु
5. ज्वाईट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. प्रिसिपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई.एल.आर एवं एक्जाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवा पुस्तिका/तेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
15. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. श्रीमती अंकिता कपूर पत्नि स्त. श्री संदीप कपूर कर्वाटर नंबर-जे.एन.-4, रेसीडेन्सी एरिंगा, जिला जेल के पास, रेडियो कॉलोनी, इंदौर, इंदौर म.प्र.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

U
(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for